



Date: -29.08.2022

To,
The Secretary,
Listing Department
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange plaza, BKC, Bandra (E)
Mumbai-MH 400051.

To,
The Secretary,
Listing Department
The BSE Ltd.
P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai- MH 400001.

REF: - (ISIN- INE908D01010) SCRIP CODE BSE-531431, NSE Symbol-SHAKTIPUMP

Sub:- Submission of Newspaper Advertisements in connection with 27th Annual General Meeting of the Company.


Dear Sir/Madam,


Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations 2015 and in compliance with circulars issued by Ministry of Corporate affairs and SEBI, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in Free press, Indore (English) and Business Standard, Bhopal (Hindi) dated 27th August 2022, in connection with information regarding 27th Annual General Meeting of members of the Company scheduled to be held on Thursday, September 29 2022 at 01:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM").

You are requested to please take above information on records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Shakti Pumps (India) Limited


Ravi Patidar
Company Secretary



Encl: As above

SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED

Indore: Sophie Choudry arrived at Inox Nexus Central Mall on Friday to promote her latest single 'Gori Hai'.

Forest minister, team in SA to smoothen cheetahs' translocation to MP's Kuno

OUR STAFF REPORTER City.bhopal@fpj.co.in

Forest minister Kunwar Vijay Shah is on study tour of South Africa. Vijay Shah is accompanied by senior forest department officials including chief of forest force Ramesh Kumar Gupta who holds the rank of Principal Chief Conservator of Forest.



The team to study factors related to environment, habitat, security at in Kuno Palpur Sanctuary ahead of translocation of South African cheetahs

Forest minister Kunwar Vijay Shah is on study tour of South Africa. Vijay Shah is accompanied by senior forest officers including chief of forest force Ramesh Kumar Gupta who holds the rank of Principal Chief Conservator of Forest.

The team will learn how the wild animals are reared in wild and what are the different modalities adopted in this regard. The study tour of minister Vijay Shah is being seen in connection

with proposed relocation of cheetahs from Africa to Kuno Palpur Sanctuary in Sheopur district. Indian government is in contact with South Africa for the project and is expected to sign an agreement with South Africa in this regard.

A senior forest officer told Free Press that forest minister Kunwar Vijay Shah along with RK Gupta and Additional PCCF Shubranjan Singh left for South Africa on August 22. The team will be back on August 28.

The team would also study factors related to environment, habitat, security. After returning, the team will apprise government about its findings and how they should be implemented in Kuno Palpur Sanctuary.

Another forest officer said that study team would study the pre management of wildlife (before introducing into wild). Notably, cheetahs are to be brought to Kuno Sanctuary from Namibia. Separate enclosures have been made to acclimatise cheetah in new environment. Once they adapt themselves to new environment, they will be set free in the wild.

CHOUHAN ORDERS MASSIVE DE-ADDICTION CAMPAIGN ON OCT 2

OUR STAFF REPORTER city.bhopal@fpj.co.in

Chief Minister Shivraj Singh Chouhan instructed officials on Friday to organise a massive programme on de-addiction across the state on October 2.

He said a message should be given to the public through the programme that intoxication was the root of destruction.

He said, "The campaign is not for a week but it should go on endlessly. Ensure active participation of various departments and societies associated with the campaign", he said to the officials.

CM's instructions came during review of the performance of Social Justice and Disabled Welfare Department in Mantralaya.

Chief secretary Iqbal Singh Bains, principal secretary Manoj Govil and other departmental officers were present. CM also said a roadmap should be prepared to organize mass marriages by fixing the dates under Mukhyamantri

Kanya Vivah/Nikah Yojana. He said the task of providing pension after cent percent physical verification of the beneficiaries of all pension schemes should be taken seriously.

SCIENCE AND TECHNOLOGY

Reviewing the work of Science and Technology CM said Science, Technology and Innovation Policy should be prepared promptly and placed before the cabinet. He said, "A single citizen database should be readied by December 2022 at any cost, so that citizens can benefit from it. Preparations should also be made to make single service delivery portal by April 2023." CM said according to the intention of the Prime Minister Narendra Modi, drone technology has to be promoted.

He said land should be identified in Bhopal, Indore and Dewas for the establishment of new IT Parks. More and more youths should be connected with employment in companies TCS, Infosys, Impetus etc.

RESEARCH ON VEDIC WAY OF LIFE

Reviewing work of Religious Trust and Endowment Department CM said a roadmap should be prepared after taking the opinion of experts to carry forward

the research on Vedic way of life. The maintenance and use of Dharamshalas should be better. They should be listed. The upkeep of government maintained temples should also be better.

District records 132% more rain compared to last year

OUR STAFF REPORTER Indore

Even with the break in spell of rainfall for the last three days, the district administration records show that the district has witnessed more rainfall than in the last year till August 25.

According to the records, the total rainfall in the district has been recorded at 906.5 mm (35.6 inches), which is almost 15 inches more than the rainfall recorded in 2021 (390.6 mm) during the same period.

The highest rainfall in the district has been received in the Indore area, while the lowest rainfall was registered in the Mhow area (650 mm). Indore urban areas have recorded 906.5 mm rainfall, so far.

Meanwhile, the weather remained sultry on Friday with no rainfall recorded for the past three days. The rise in temperature and humidity turned the day uncomfortable. According to regional meteorological department officials, chances of heavy rainfall in Indore district are bleak till August 27.

"The monsoon trough at mean sea level now passes through centre of low pressure area over southeast Pakistan & adjoining south-west Rajasthan, Narnaul, Hardoi, Varanasi, Gaya, Purnea, Digha and thence east-southeastwards to North Bay of Bengal," Met officials said.

The maximum temperature recorded on Friday was 30 degrees Celsius, which was one degree Celsius above normal. The humidity was recorded at 69 per cent.

State sees 58 Covid cases

OUR STAFF REPORTER city.bhopal@fpj.co.in

The Covid tally in Madhya Pradesh reached 10,53,192 on Friday after the detection of 58 cases, while the death toll increased by one to touch 10,770, a health official said. The positivity rate, or cases detected per 100 tests, stood at 0.8 per cent, the official added.

The recovery count increased by 134 and reached 10,41,938, leaving the state with 484 active cases, he informed. With 8,801 samples examined during the day, the number of coronavirus tests in MP went up to 2,98,70,935, he added.

A government release said 12,83,55,467 COVID-19 vaccine doses have been administered so far in the state, including 27,800 on Friday.

Coronavirus figures in MP are as follows: Total cases 10,53,192, new cases 58, death toll 10,770, recoveries 10,41,938, active cases 484 number of tests so far 2,98,70,935.


Chambal breaks 25-yr record

OUR STAFF REPORTER city.bhopal@fpj.co.in

Like every monsoon, Chambal and Parvati rivers are in spate wreaking havoc in Morena, Bhind and Sheopur districts of Chambal division. Breaching its 25 years records, Chambal river on Thursday had touched 146.50 meters which was 8.5 mt above the danger mark which stands at 138 mt.

On Friday it was flowing at 145m at Rajghat in Morena district way above its danger mark and at 129.77 mt in Bhind. Floods this year have affected over 250 villages in Morena, 39 in Sheopur and 25 villages in Bhind district.

Last year too, the division had witnessed floods, however, the Chambal river then had not crossed 144



meter. After 1996, once again the flood waters this year has submerged the Shiva temple, situated near the old bridge at Rajghat where the river was flowing at 145 mt mark on Friday morning. People living in around 200 villages have been rendered homeless. The flood has ruined the standing crops in

hectares in Morena district. Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has arranged two helicopters to deliver the ration to flood-affected people.

Advertisement for Central Bank of India, featuring a 'TENDER INVITATION FOR PREMISES ON LEASE' and contact information for the Indore branch.

Advertisement for Indian Bank, featuring a 'POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Rule-8(1)' and details of a property sale.

Advertisement for PNB Housing Finance Limited, featuring a 'POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES)' and details of a property sale.

Advertisement for IFL Home Finance Limited, featuring a 'Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties' and details of a property sale.


Advertisement for the District Collector's Office, Indore, featuring a notice regarding the appointment of a new District Collector.

Advertisement for the District Collector's Office, Indore, featuring a notice regarding the appointment of a new District Collector.

Advertisement for SHAKTI PUMPS (INDIA) LTD., featuring a notice regarding the appointment of a new District Collector.

Advertisement for SHAKTI PUMPS (INDIA) LTD., featuring a notice regarding the appointment of a new District Collector.

इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व का इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय : नं. 769, स्पेसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु-600 302. # 04442995000, 0442995050				
मांग सूचना				
सर्केंसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना, 2002				
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार/रों ने इक्विटास हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (ईएफएल)/इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लि. (ईएसएफबी) से ऋण लिया है। कथित कर्जदार/रों द्वारा किलों के भुगतान में असफल रहने के कारण उनके खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादन आरतियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। प्रतिभूत अचल सम्पत्तियों, ऋण तथा कर्जदारों द्वारा अब तक बकाया देय राशि का विवरण निम्नलिखित है। कर्जदारों और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधिकृत प्राधिकारी, प्रतिभूत लेनदार ने सर्केंसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कर्जदार/रों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है और कथित सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न किया जाये, इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर कर्जदारों के नामों के सम्बन्ध उचित/व्यवहार बकाया राशि के भुगतान में असफल होने पर अग्रोहस्ताक्षरी सम्पत्तियों पर कब्जा करे और उसे बेचने की शक्ति रहित सर्केंसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का उपयोग करेगा।				
क्र.सं.	कर्जदार (रों)/जमानती(यों) का नाम (शाखा का नाम)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	प्रतिभूत आरित (अचल सम्पत्ति) का विवरण	का विवरण
1.	शाखा: बियोरा एल. नं.: SEBIORA0209000 कर्जदार: श्रीमती डी. डाली सोनी सह-कर्जदार: श्री आर. राकेश सोनी	19-07-2022 & ₹. 155074/-	संपत्ति -1 आवेदक: डाली सोनी, सर्वेक्षण संख्या 678/2 में से भवन/मकान/भूखंड/भूमि के साथ-साथ भूमि का समस्त भाग, कुल माप क्षेत्र 20X30 = 600 वर्ग फीट, वार्ड नंबर 5, सिलावट मोहल्ला सुधुलिया पी.एच. नं. 60, तहसील-बियोरा, जिला-राजमढ़, म.प्र. पर स्थित। उत्तर: 12 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: विक्रेता की शेष भूमि, पूर्व: विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम: रामसिंह सोढिया का भूखंड माप: 20X30 = 600 वर्ग फीट। राजमढ़ जिले के बियोरा के उप-पंजीकरण कार्यालय में स्थित।	
2.	शाखा: रीवा एल. नं.: SEIBRWA0294328 कर्जदार: श्रीराम वक्ष साकेत सह-कर्जदार: श्रीमती नीलम साकेत	29-07-2022 ₹. 257039/-	मद-1 भूमि और भवन का सम्पूर्ण भाग, अराज्जी नं. 715/3, 716/3, 717/3 में शामिल, माप 800 वर्ग फुट, गांव-समन नगर निगम-रीवा, पीच नंबर 32, वार्ड संख्या 26, समन, तहसील-हुजूर, जिला- रीवा, म.प्र. में स्थित। उत्तर: रामवाहीर का घर, दक्षिण : महेश का घर, पूर्व: 10 फीट प्रस्तावित रोड, पश्चिम: श्यामदेवी का प्लॉट। माप : 800 वर्ग फुट, रीवा के उप-पंजीकरण जिले और रीवा के पंजीकरण जिले में स्थित	
3.	शाखा: छत्रपुर एल. नं.: SETRPR0142055 कर्जदार: श्री प्रमोद कुमार जैन सह - कर्जदार श्री कल्याण सिंह किरार सह - कर्जदार श्री श्रोकमी गुडाम्पान जैन	02-08-2022 ₹. 833844/-	खसरा संख्या -551 में निर्मित भवन की भूमि का समस्त भाग, माप 620.54 वर्ग फीट, मौजा-छत्रपुर, हलका नंबर-38/51, आरएल संकल, तहसील और जिला-जबलपुर, म.प्र. में स्थित, माप : उत्तर : कैलाश चौसिया का घर, दक्षिण : रामप्रकाश रायकावार का घर, पूर्व : रामकुमार कुशावहा का घर, पश्चिम : सड़क, माप: उत्तर से दक्षिण -15.8 फीट (पूर्व) 17 फीट (पश्चिम), पूर्व से पश्चिम-38 फीट, उप-पंजीकरण के भीतर स्थित है। उप पंजीकृत कार्यालय के जिला एवं पंजीयन जिला छत्रपुर(म.प्र.) में स्थित	
4.	शाखा: विदिशा एल. नं.: SEVIDSA0219661 कर्जदार: श्री कल्याण सिंह किरार सह - कर्जदार श्री श्रोकमी कांतिबाई सह - कर्जदार श्री भरत सिंह सह - रीवा	02-08-2022 ₹. 489308/-	पी.एच. नंबर 60 पुराना वाई नंबर 29 न्यू 32 उदय नगर कॉलोनी विदिशा नगर पालिका विदिशा तहसील और जिला विदिशा, खसरा/भूमि सर्वेक्षण संख्या 1481/2/मिन-1, क्षेत्रफल 1260 वर्ग फुट, क्षेत्र विदिशा नगर निगम तहसील और जिला विदिशा की नगर सीमा में स्थित भूमि तथा प्लांट/आवासीय मकान का समस्त भाग, माप कुल क्षेत्रफल 1260 वर्ग फुट। उत्तर: राजी जी का प्लॉट, दक्षिण: विक्रेता की भूमि, पूर्व: सड़क 25 फीट, पश्चिम : शशि बाई का प्लॉट, माप: 1260 वर्ग फीट, विदिशा के उप-पंजीकरण जिला और विदिशा के पंजीकरण जिला में स्थित।	
5.	शाखा: पिपरिया एल. नं.: SEPPRYA0240291 कर्जदार श्री रामेश्वर मालवीय सह-कर्जदार श्री कृष्ण यादव सह-कर्जदार श्रीमती सानकी बाई मालवीय	02-08-2022 ₹. 260767/-	ग्राम क्षेत्रवास तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद डायवर्टेड खसरा नंबर 85/7 प्लॉट नंबर 12, क्षेत्रवास 15X50 = 750 वर्ग फीट। सीमाएँ : उत्तर : शिवनारायण सोनी, दक्षिण : शारदा प्रसाद भार्गव, पूर्व : सड़क, पश्चिम : कोटनगर का प्लॉट	
6.	शाखा: पिपरियाहान एल. नं.: SEPLNA0199792 कर्जदार: श्री कृष्ण यादव सह-कर्जदार श्रीमती समीता	02-08-2022 ₹. 256952/-	संपत्ति -1 आवेदक: कृष्णा यादव, भवन के साथ-साथ भूमि का समस्त भाग, गांव उन्नापुरा गांव, पीच नं. 24, सर्वे नं. 120, तहसील हातोद एवं जिला-इंदौर, म.प्र. में स्थित, क्षेत्रफल कुल माप - 50*50=2500 वर्ग फीट, उत्तर : कर्मन रोड, दक्षिण : गीताबाई का प्लॉट, पूर्व: भंवरसिंह का मकान, पश्चिम: हुनेज रोड, माप: 50*50=2500 वर्ग फीट, उप-पंजीकरण जिला इंदौर और पंजीकरण जिला इंदौर में स्थित।	
7.	शाखा: बैतुल एल. नं.: SEBETUL0193130 कर्जदार श्री देवेन्द्र घोसे सह-कर्जदार श्री शकुन घोसे सह - कर्जदार श्री सद्धानी घोसे	02-08-2022 ₹. 229441/-	अनुसूची II सह-आवेदक 2: सद्धानी घोसे, बैतुल गांव सुरगांव में स्थित भूमि तथा आवासीय मकान का समस्त भाग, पी.एच. नं. 66, आबादी भूमि खसरा नं. खसरा संख्या 78, सुरगांव तहसील एवं जिला बैतुल ग्राम पंचायत की सीमा में स्थित, कुल क्षेत्रफल 850 वर्ग फुट, सीमाएँ : उत्तर: धनश्याम, दक्षिण: किशन दायदई पूर्व: धनश्याम पुत्र आत्माराम, पश्चिम: सड़क माप: 850 वर्ग फीट, बैतुल के उप-पंजीकरण जिले और बैतुल के पंजीकरण जिले में स्थित।	
8.	शाखा: बियोरा एल. नं.: SEBIORA0210761 कर्जदार : श्री के. कांतु राम सह-कर्जदार श्रीमती एस. सूरज बाई	02-08-2022 & ₹. 204448/-	आवेदक: कालूराम, भवन के साथ-साथ जमीन का समस्त भाग, मकान नं. 08, खसरा नं. 205/2 मिन-1, ग्राम खलीली, तहसील-चांचोड़ा, जिला-गुना, म.प्र., क्षेत्र का कुल माप-1200 वर्ग फीट। उत्तर: मिसर लाल की भूमि, दक्षिण: 10 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व: बद्रीलाल और रोषा का प्लॉट, पश्चिम: 12 फीट चौड़ी सड़क, माप: 1200 वर्ग फीट, गुना के उप-पंजीकरण जिले और चाचोदी के पंजीकरण जिले में स्थित।	
9.	शाखा: टीकमगढ़ एल. नं.: SETKMG0297139 कर्जदार श्री राहुल यादव सह-कर्जदार श्री मोहन यादव सह - कर्जदार श्रीमती रेखा यादव	02-08-2022 ₹. 197721/-	मद-1 भूमि और भवन का समस्त भाग, खसरा संख्या -1514 में से, माप 1875 वर्ग फुट, मौजा-टीकमगढ़ खसरा हलका नं -09, तहसील और जिला-टीकमगढ़ म.प्र. में स्थित। सीमा : उत्तर: राजा बाई की भूमि, दक्षिण: विठ्ठल की भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: विक्रेता माप की भूमि, माप: 1875 वर्ग फुट, उप पंजीकृत जिला टीकमगढ़ तथा पंजीकरण जिला गुना में स्थित।	
10.	शाखा: गुना एल.नं.: SEIBGNA0204759 कर्जदार श्रीमती शारदा बाई प्रजापति सह-कर्जदार श्री परमल सिंह प्रजापति	02-08-2022 & ₹. 184231/-	अनुसूची -1 आवेदक: शारदा बाई, सर्वे नं. 674/2, माप 430 वर्ग फीट का समस्त भाग, गांव - खलीली गुना, नगर पालिका परिषद - गुना, पीच नंबर 65, वार्ड नंबर 30 वारासवेदी गुना, तहसील और जिला-गुना, म.प्र. में स्थित। उत्तर: रघुवंशी का घर, दक्षिण: भूखंड राजेश, पूर्व: रघुवंशी का घर, पश्चिम: प्रस्तावित सड़क, माप: 430 वर्ग फुट, उप-पंजीकरण जिला गुना एवं पंजीयन जिला गुना में स्थित।	
स्थान : मध्य प्रदेश, दिनांक : 27.08.2022			ह./- अधिकृत प्राधिकारी, इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	



इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Sabka Lije Ghar Ka Loan

पंजीकृत कार्यालय: -प्लॉट नं. 15, 6वां तल, सेक्टर -44, इंदौरटूरिज्म एरिया, गुडवुडस इरिगेशन -122002
शाखा कार्यालय: -8, शाहपुराचार मार्ग, भाजपा कार्यालय के पास सर्वक ट्रेडर्स के ऊपर, उज्जैन - 456010 एम.पी.
शाखा कार्यालय: श्री राम कॉम्प्लेक्स, 123-ए, भुलत, कालानी बाग, ए.बी.रोड, देवास - 455001

अचल सम्पत्ति हेतु भौतिक/सांकेतिक कब्जे की सूचना

जहाँ, कर्जदार इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्ति प्राप्त अधिकारी को वास्तविक अधिकारी को जमा किया गया है। उक्त सूचना के अंतर्गत निम्नलिखित (अर्ज) प्रमाण 2002 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कर्जदार/रों ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ऋण लिया है। कथित कर्जदार/रों द्वारा किलों के भुगतान में असफल रहने के कारण उनके खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादन आरतियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। प्रतिभूत अचल सम्पत्तियों, ऋण तथा कर्जदारों द्वारा अब तक बकाया देय राशि का विवरण निम्नलिखित है। कर्जदारों और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधिकृत प्राधिकारी, प्रतिभूत लेनदार ने सर्केंसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कर्जदार/रों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है और कथित सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न किया जाये, इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर कर्जदारों के नामों के सम्बन्ध उचित/व्यवहार बकाया राशि के भुगतान में असफल होने पर अग्रोहस्ताक्षरी सम्पत्तियों पर कब्जा करे और उसे बेचने की शक्ति रहित सर्केंसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का उपयोग करेगा।

क्र.सं.	कर्जदार (रों)/जमानतदार (सम्पत्ति का मालिक) का नाम एवं ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति के शामिल समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग)	मांग सूचना की दिनांक एवं बकाया राशि मांग सूचना की दिनांक तक	भौतिक/सांकेतिक कब्जे की दिनांक
1.	शारदा बाई (पंजीकृत) तथा श्रीमती विनीता शर्मा (सह-कर्जदार) एल. नं.: SEBIORA0209000 कर्जदार: श्रीमती डी. डाली सोनी सह-कर्जदार: श्री आर. राकेश सोनी	सम्पत्ति परचे को सभी और न हिस्से हिस्से। हज़ार नंबर की-356, क्षेत्रफल 46.00 वर्ग मीटर। उत्तर: कैलाश चौसिया का प्लॉट, दक्षिण: विक्रेता की शेष भूमि, पूर्व: विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम: रामसिंह सोढिया का भूखंड माप: 20X30 = 600 वर्ग फीट। राजमढ़ जिले के बियोरा के उप-पंजीकरण कार्यालय में स्थित।	मांग सूचना दिनांक 19.05.2018 ₹. 5,02,540 (बचत) पंचालख तो हज़ार पचास सौ की बकौती रुपये 131.05.2018 तक बकाया - दिनांक 01.06.2022 में भुगतान किया गया और अचल सम्पत्ति एवं ऋण का निष्पत्ति कर दिया गया।	25.08.2022 भौतिक
2.	शारदा बाई (पंजीकृत) तथा श्रीमती विनीता शर्मा (सह-कर्जदार) एल. नं.: SEIBRWA0294328 कर्जदार: श्रीराम वक्ष साकेत सह-कर्जदार: श्रीमती नीलम साकेत	सम्पत्ति परचे को सभी और न हिस्से हिस्से। हज़ार नंबर 717 EWS-2, अर्जीकृत क्षेत्रफल 45000 (मध्य प्रदेश)। सीमा पूर्व: वार्ड नंबर 32, उत्तर: रामवाहीर का घर, दक्षिण: महेश का घर, पूर्व: 10 फीट प्रस्तावित रोड, पश्चिम: श्यामदेवी का प्लॉट। माप: 800 वर्ग फुट, रीवा के उप-पंजीकरण जिले और रीवा के पंजीकरण जिले में स्थित।	मांग सूचना दिनांक 12.06.2021 ₹. 9,62,726.24 (बचत) पंचालख तो हज़ार पचास सौ की बकौती रुपये 30.06.2021 तक बकाया - दिनांक 01.06.2022 में भुगतान किया गया और अचल सम्पत्ति एवं ऋण का निष्पत्ति कर दिया गया।	25.08.2022 भौतिक
3.	शारदा बाई (पंजीकृत) तथा श्रीमती विनीता शर्मा (सह-कर्जदार) एल. नं.: SEVIDSA0219661 कर्जदार: श्री कल्याण सिंह किरार सह-कर्जदार श्री श्रोकमी कांतिबाई सह-कर्जदार श्री भरत सिंह सह-रीवा	सम्पत्ति परचे को सभी और न हिस्से हिस्से। हज़ार नंबर -58 पहाडी, राजमढ़ नगर पालिका। सीमा पूर्व: वार्ड नंबर 56, उत्तर: रामवाहीर का घर, दक्षिण: महेश का घर, पूर्व: 10 फीट प्रस्तावित रोड, पश्चिम: श्यामदेवी का प्लॉट। माप: 800 वर्ग फुट, रीवा के उप-पंजीकरण जिले और रीवा के पंजीकरण जिले में स्थित।	मांग सूचना दिनांक 23.05.2022 ₹. 5,95,325.13 (बचत) पंचालख तो हज़ार पचास सौ की बकौती रुपये 31.05.2022 तक बकाया - दिनांक 01.06.2022 में भुगतान किया गया और अचल सम्पत्ति एवं ऋण का निष्पत्ति कर दिया गया।	23.08.2022 सांकेतिक

अधिक जानकारी के लिये कृपया श्री आलांक शर्मा (+91 98265 971042) एवं श्री अजय राय (+91 7906826375) से सम्पर्क करें
स्थान: मध्य प्रदेश दिनांक: 27.08.2022 (प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फायनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

कार्यालय क्रमांक 1, तार मंजिल, पुष्पक सीएफएस, गोमंजक हॉल के सामने, मालविया रोड, बिले पार्ल (पूर्व), मुम्बई 400057, फोन 18001234427 / 022 26101076-79, ई-मेल collections@mhfindia.com



मांग सूचना

वित्तीय आस्थितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस

निम्न आधारकर्ताओं को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उन्होंने स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फायनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (SMHFC) से ऋण प्राप्त किया है लेकिन उनके द्वारा ऋण की ईएमआई (EMIs) का नियमित भुगतान नहीं किया गया है। और इस कारण नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत उनका ऋणखाता एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन उधारकर्ताओं ने (SMHFC) के पास सिखरुडिटी के रूप में अचल संपत्ति रखी है। जिनका व्योरा और आज लाइव तक उपकरणकर्ता द्वारा (SMHFC) को चुकायी जाने वाली ऋण एवं बकाया राशि का व्योरा भी नीचे दर्शाया गया है। उधारकर्ताओं और सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि (SMHFC) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जमानती लेनदार के वित्तीय आस्थितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 के तहत निम्न उधारकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की है। यदि निम्न उधारकर्ता उनके नामों के सामने दशएक बकाया देयों को भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर नहीं करते हैं। तो जमानती लेनदार को सर्फेसी (SARFAESI Act) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त एक या उससे अधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस संपत्ति को कब्जा/अधिकार में लेने और इसे बेचने की कार्यवाही करेगा। सामान्य जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन न करें।

ऋणी(यों)/जमानतदार(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	सुरक्षित आरित(यों) (अचल संपत्ति/यों) का विवरण
लोन नं.: APP-036-999 श्री जय प्रकाश मेहर, श्रीमती हीरा बाई	11-08-2022 ₹ 1,81,794/-	एमसीबी-पीएमएवाय-एचपी-विदिशा खसरा नं. 1212/3, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रामलीला के पास, विदिशा मध्य प्रदेश
लोन नं.: APP-029-811 श्रीमती डाली तिवारी, श्री मोहन शर्मा	10-05-2022 ₹ 9,16,076/-	जी 22, शुभ आर्माटेड, श्री राम कमल स्पीडेली-फेस 2 खसरा नं 35/3/1, ग्राम नैनोद, गंगतीनार चौराहेकेपास, एर्रोडरोड, तहसील नैनोद, जिला इन्दीर, पिनकोड-452005
लोन नं.: TOP-037-480 श्रीमती पुनम, श्री विनायक यादव	21-05-2022 ₹ 4,36,176/-	वार्ड नं.-13, प्लॉट नं. 137, न्यू ब्रिज बिहार कॉलोनी, राज, इन्दौर, मध्य प्रदेश - 453331
लोन नं.: APP-029-102 श्री कैलाश, कु. संगीता बाई	11-04-2022 ₹ 4,53,327/-	पटवारी हलका नं.53, तहसील देपालपुर, हरनासा, इन्दीर, म.प्र. 453001

स्थान: मध्य प्रदेश, दिनांक: 27.08.2022 प्राधिकृत अधिकारी
तर्क स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फायनेंस कारपोरेशन लिमिटेड



खबरें जो बढ़ाए आपकी तरक्की की रफ्तार

पहला पन्ना क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार के नाम देश और आपके प्रदेश की सबसे बड़ी बिजनेस खबरें

शेयरों और क्षेत्रीय मंडियों के भाव प्रमुख शेयरों और विभिन्न राज्यों की मंडियों के जिस भाव

कंपनी और जिस समाचार कंपनियों, स्टार्ट-अप और जिस मार्केट पर नज़र, सोमवार से शनिवार

विविध समाचार राजनीतिक और आर्थिक समाचार

आयाम मनोरंजन, स्वास्थ्य, ब्रांड, खेल, टेक्नोलॉजी और व्यक्तित्व की बातें

व्यापार गोष्ठी हर सोमवार एक आर्थिक या सामाजिक मुद्दे पर पाठकों और विशेषज्ञों की राय

अन्य साप्ताहिक पृष्ठ हर सोमवार, 'रमाट इन्वेस्टर' और आपका निवेदन

अपनी प्रति के लिए

SMS reachbs to 57575 or email us at order@bmail.in



शक्ति पम्पस (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएन : L29120MP1995PLC009327

पंजीकृत कार्यालय : 29, सितम्बर 2022 को दोपहर 01:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("VC/OAVM") से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा, दिनांक 08 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांक 05 मई, 2020 को जारी परिपत्र संख्या 20/2020, 13 जनवरी, 2021 को जारी परिपत्र क्रमांक 2/2021, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 को जारी परिपत्र क्रमांक 21/2021 और दिनांक 05 मई, 2022 को जारी परिपत्र क्रमांक 2/2022 (एम.सी.ए. परिपत्र) एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा दिनांक 12 मई, 2020 को जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 और 15 जनवरी, 2021 को जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 और 13 मई, 2022 को जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 (SEBI परिपत्र) से एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना VC/OAVM के माध्यम से एजीएम करने की अनुमति देते हैं, के अनुपालन में एजीएम को VC/OAVM से आयोजित किया जायेगा। सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उन सभी शेयर धारकों को भेजी जायेगी, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 27वीं एजीएम की सूचना की प्रतियाँ उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जो इसके लिए अनुरोध करते हैं। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया आप अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करने के लिए नीचे दिये गए निर्देशों का पालन करें।

ईमेल पंजीकृत करने के लिए कृपया कंपनी को cs@shaktipumpsindia.com/रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को rnt@adroitcorporate.com पर ईमेल द्वारा फॉलोअप नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट (फेंड एंड बेक) की स्कैन कॉपी, बैंक कार्ड और इयोरियम लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड या पासपोर्ट में से किसी एक की स्व-प्रमाणित कॉपी के साथ अनुरोध करें।

कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स (डीपी) से संपर्क करें और आपके डीपी द्वारा बताए अनुसार अपना ईमेल पता एवं बैंक खाता को पंजीकृत करें।

सदस्य ध्यान दें कि 27वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, कंपनी की वेबसाइट www.shaktipumps.com और स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध रहेगी। 27वीं एजीएम की सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

सदस्यों को एजीएम सूचना में बताए गए कारोबार पर एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान अपने मतदान का इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्रमशः रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से उपयोग करने का अवसर भी उपलब्ध कराया जायेगा। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले और जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपनी ईमेल आई डी को पंजीकृत नहीं किया है उनके लिये एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान क्रमशः रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम सूचना में उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

बोर्ड के आदेश से

द्राव शक्ति पम्पस (इंडिया) लिमिटेड

रवि चार्जदार
कंपनी अधिकारी

दिनांक: 26 अगस्त, 2022
स्थान: पौधपुर ए.सी.एस. 32328

फेडबैक फाइनेंसियल सर्विसेस लि. -नीलामी सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि फेडबैक फाइनेंसियल सर्विसेस लि. निम्नलिखित खातों (नीचे उल्लेखित) से ऋण प्राप्त आग्रहणों, जो अतिरिष्ट हो चुका है अथवा जो ऋण सुकाित करने में विफल हो चुका है अथवा जो मार्जिन उल्लंघन कर चुके ग्राहकों के हैं, को नीलामी में संचालित करने का निर्णय लिया है। नीलामी नीचे उल्लेखित संबंधित शाखाओं में बुधवार, दिनांक 07-09-2022 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच आयोजित होगी। यह नीलामी की प्रक्रिया के समाप्त होने तक जारी रहेगी।

इमानी पी. भोपाल 9981018266 FEDGL0460000017, 0000455, 0000380, 0000467, 0000250, इंदुरी 9131907071 FEDGL04720000141, 0000330, बिजय नगर 9977250007 FEDGL04730000138, 0000380, 0000257

स्थान अथवा तारीख में किसी भी तरह का बदलाव होने पर उसे हमारी वेबसाइट www.fedfina.com पर प्रदर्शित किया जाएगा। भाग लेने वाले सभी कोलीदारताओं को उनके द्वारा जमा की गई बोलियों को स्वीकार अथवा रद्द किए जाने के संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। जो ग्राहक अपने आग्रहण मुक्त करवाना चाहते हैं उन्हें मूल शाखा में पधारना होगा, जहां ग्राहक द्वारा आग्रहण गिरीरी पर रद्द रूखे हुए अथवा ऊपर उल्लेखित नम्बर पर दिनांक 06-09-2022 को अथवा उससे पहले सम्पर्क करें, जो लागू नियम एवं शर्तों पर आधारित होगा।

नीलामी संबंधित शाखाओं में आयोजित होगी, किसी भी कारणवश निश्चित तारीख को नीलामी के सम्पन्न नहीं होने पर उससे संबंधित नीलामी अगले कारोबारी दिनांक को हमारी वेबसाइट पर विवरण के प्रदर्शन के उपरांत जिला स्तर की शाखा में संचालित की जाएगी। इस संबंध में और कोई संचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक: 27-08-2022 **कृते, हरस्ता/ अधिकृत हरस्ताक्षरकर्ता**
स्थान: मध्य प्रदेश **फेडबैक फाइनेंसियल सर्विसेस लि.**

फॉर्म सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगम) नियमों, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाधार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगम) नियमों, 2014 के नियम 30(5) (ए) और के मामले में

हैथवे भास्कर सीसीएन मल्टी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड

(CIN : U92130MP2011PTCO26839)
जिसका पंजीकृत कार्यालय बी टीपी, वैदिक भास्कर बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 4/54 प्रेस कॉम्प्लेक्स, एबी रोड, इंदौर-452 003 - याचिकाकर्ता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ता कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को एक आवेदन करने का प्रस्ताव करती है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत 25 अगस्त, 2022 को आयोजित याचिकाकर्ता कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में याचिकाकर्ता कंपनी के एग्रीएशन के ज्ञापन के खंड-II के परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "मध्य प्रदेश राज्य" से "महाराष्ट्र राज्य" में बदल सके।

कोई भी व्यक्ति, जिसका हित याचिकाकर्ता कंपनी के एग्रीएशन के ज्ञापन में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, इस सूचना के प्रकाशन के 14 दिनों के भीतर आरओपी भवन, रूपाल पार्क सोसाइटी के सामने, अकुरु बस स्टॉप के पीछे, नानपुर, आनंदबाद-380 013, गुजरात में क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को सूचित कर सकता है, एक हलफनामे द्वारा समर्थित, हित का प्रकार और विशेषता का आधार यदि कोई हो, और ऊपर उल्लेखित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में याचिकाकर्ता को एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक को मूल रूप से भेजते हैं।

बोर्ड की ओर से और उसके पक्ष में
प्रति हैथवे भास्कर सीसीएन मल्टी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
हरस्ता, /-
मयूर गोविंदभाई कानानी
निदेशक
स्थान : मुंबई
दिनांक : 26 अगस्त, 2022 डीआईएन : 06590372

परिशिष्ट IV

देखें निगम 8(1)
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अग्रोहस्ताक्षरी ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिस्कमूवशन ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एफोसिमेंट ऑफ सिस्कोरिटी इंडेस्ट्र एसेट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरिटी इंडेस्ट्र (एफोसिमेंट) रूपसे, 2002 के